न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व अपील :– 07/18 अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अनवान :–

अपीलाण्टगण :– 1.भमरदान पुत्र भूरदान 2. सांवलदान पुत्र भूरदान 3. जबूबाई पत्नि भूरदान जाति चारण निवासी बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. सरपंच, ग्राम पंचायत बाखासर तहसील सेड़वा
2. रम्भा देवी पत्नि मूलाराम
3. नेनू देवी पत्नि नवलाराम
जाति जाट निवासी रंगवाली तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

वकील अपीलाण्टगण :– श्री मोहन सिंह सोढ़ा

निर्णय

दिनांक 07.06.2018

अपीलाण्ट ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. विरूद्ध उतरदातागण पेश किया। जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्टगण के पैतृक खातेदारी खेत मौजा बाखासर पटवार क्षेत्र बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर खसरा नं. 974/343 रकबा 50 बीघा का आया हुआ है जो खेत अपीलान्टगण के पिता के पति स्व. भूरदान की खातेदारी का था। अपीलान्टगण के पिता व पति भूरदान द्वारा उपरोक्त भूमि का बैचान जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र के दिनांक 18.10.2005 को उतरदाता संख्या 2 व 3 को किया गया था। तथा बैचान पत्र दिनांक 19.10.2005 को उप पंजीयक सेड़वा में बही संख्या 1 विपत्र संख्या 33 पेज सं. 76 दस्तोवज संख्या 1076/05 पर चस्पा करवाया गया तथा मौके पर अपीलान्टगण के पिता व पति भूरदान खरीददारों को 40 बीघा भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया तथा शेष 10 बीघा अपीलान्टगण के पिता व पति भूरदान के कब्जे काश्त में चलती रही। हल्का पटवारी ने 40 बीघा के स्थान पर 50 बीघा भूमि का नामान्तरण सं. 936 खोलकर हल्का आर. आई से जांच करवाकर स्वीकृति हेतु उतरदाता संख्या 1 ग्राम पंचायत बाखासर ने नामान्तरण बिना जांच किए पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध था।

उतरदाता सं. 2 व 3 ने उतरदाता सं. 1 से मिली भगत कर गलत रूप से अपीलान्ट के पिता व पति का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण को

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 974/343 रकबा 10 बीघा के खातेदार रखते हुए राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती किया जावें। आलोच्य नामान्तरण संख्या 936 विधि तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया जिसको निरस्त करने की इस्तदुआ चाही गई है।

पत्रावली आज दिनांक 07.06.2018 को बाखासर में पेश हुई अपीलान्टगण एवं उतरदाता गण ने कैम्प में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया हम अभ्यपक्ष इस बात पर सहमत है कि उतरदाता गण द्वारा केवल 40 बीघा भूमि की क्रय की गई थी। परन्तु नामान्तरण सं. 936 दिनांक 20.12.2005 द्वारा सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरण स्वीकृत होने से शेष दस बीघा अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी। विक्रय से शेष भूमि है, गलत रूप से उतरदातागण के नाम से दर्ज कर दी गई। जिससे वापस अपीलान्टगण के नाम दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, पत्रावली के साथ पेश बैचान पत्र पंजीबद्ध दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता कि अपीलान्टगण के पिता व पति ने क्रय कर्ता को 40 बीघा का ही बैचान किया है।

अतः अपीलान्टगण की अपील जरिए राजीनामा स्वीकार कर उतरदाता सं. 1 द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 936 दिनांक 20.12.2005 को निरस्त किया जाता है साथ ही आदेश दिया जाता है कि मौजा बाखासर के पटवार हल्का बाखासर के खेत खसरा नं. 974/343 रकबा 50 बीघा में 10 बीघा अपीलान्टगण के खातेदारी में तथा 40 बीघा उतरदाता सं. 2 व 3 की खातेदारी में रखते हुए नए सिरे से पूर्ण जॉच कर नामान्तरण पारित करें।

निर्णय न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प बाखासर में दिनांक 07.06.2018 को मजमे आम में लिखकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन